भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
सैन्य कार्य विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 224
04 अगस्त, 2021 को उत्तर के लिए

प्रशिक्षण के दौरान चोटग्रस्त हुए कैडेट

***224. श्री सय्यद ईमत्याज जलील :**
श्री असादुद्दीन ओवैसी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा अकादमी में चार वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद कैडेट तीनों सेनाओं में सम्मिलित होते हैं ;
(ख) यदि हां, तो क्या प्रशिक्षण अवधि के दौरान कई कैडेटों को गंभीर चोटें लगती हैं और निःशक्त हो जाते हैं तथा उन्हें किसी भी प्रकार की वित्तीय या चिकित्सा सहायता नहीं प्रदान की जाती है ;
(ग) क्या वर्ष 2015 में एक विशेषज्ञ समिति ने इन कैडेटों हेतु निःशक्तता पेंशन तथा वित्तीय सहायता की सिफारिश की थी जिसे सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था ;
(घ) क्या सरकार को ऐसे कैडेटों को पेंशन तथा अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव पुनः प्राप्त हुआ है ; और
(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई या की जा रही है ?

उत्तर
रक्षा मंत्री (श्री राजनाथ सिंह)

(क) से (ड.) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

"प्रशिक्षण के दौरान चोटग्रस्त हुए कैडेट" के बारे में लोक सभा में दिनांक 04 अगस्त, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए तारांकित प्रश्न संख्या 224 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क): जी, हां ।

(ख): जी, नहीं । चोटग्रस्त तथा सैन्य प्रशिक्षण पर आरोप्य अथवा इसके चलते गंभीर हुए चिकित्सा आधार पर अशक्त किए गए कैडेटों को अनुग्रह प्रदान किया जाता है । ऐसे चोटग्रस्त कैडेटों का चिकित्सा उपचार सैन्य अस्पतालों में किया जाता है ।

(ग): जी, हां । रक्षा मंत्री की विशेषज्ञ समिति ने 2015 में सिफारिश की कि सैन्य प्रशिक्षण के कारण मानी जाने वाली निःशक्तता के चलते निःशक्त और रक्षा अकादमियों से बोर्ड आउट किए गए कैडेटों को अफसर दरों (सैन्य सेवा वेतन अंश के बिना) पर निःशक्तता पेंशन प्रदान की जाए। प्रशिक्षणरत कैडेटों को वेतन और भत्ते (वेतन) नहीं मिलते हैं परंतु उनको मासिक वजीफ़ा दिया जाता है, इसलिए सरकार द्वारा सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि अनुवर्ती वेतन आयोग (6वां तथा 7वां) ने तकनीकी आवश्यकताओं जैसे कि भर्ती नियमों और पेंशन नियमों के संशोधन के कारण इसकी सिफारिश नहीं की ।

(घ): जी, हां । सेना मुख्यालयों ने सैन्य प्रशिक्षण पर आरोप्य/इसके चलते गंभीर हुई निःशक्तता के कारण चिकित्सा आधार पर प्रशिक्षण से निकाले गए कैडेटों को निःशक्तता पेंशन प्रदान किए जाने के लिए एक प्रस्ताव अग्रेषित किया है ।

(ड.): प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय में विचाराधीन है ।

***